राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मालती बनाम लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के पूर्वज एवं रेस्पो. संख्या 5 लगा. 8 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष निर्णय बाबत प्रार्थना पत्र रेस्टीट्यूशन अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया कि वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2019 का पेश कर उल्लेख किया कि एक वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राजत व स्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टरचौमू, जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 27.06.1994 को प्रार्थीगण के विरूद्ध वाद संख्या 120/94 उनवानी गणेश बनाम मंगला वगैराह प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.55 हैक्टेयर वाके ग्राम टांटीया वास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि के राजस्व रिकार्ड में मंगला, गोपाल, नाथू, नानू पिता काना के नाम का अंकन था। उपरोक्त वाद उनवानी गणेश बनाम मंगला वगैराह अधिकारी मु.न. 120/1994 न्यायालय सहायक कलक्टर चौंमूँ के समक्ष विचाराधीन था, जिसमे दिनांक 15.05.2000 को सहायक कलक्टर चौमू द्वारा वाद वादी डिक्री फरमाते हुए वादी गणेश को भूमि खसरा नं. 170 रकबा 0.55 हेक्टेयर वाके ग्राम टाटियावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात दुरूस्ती के आदेश पारित कर दिये गये, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर समक्ष प्रार्थीगण मंगला वगैराह द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 01.08.2002 को अपील उनवानी मंगला वगैराह बनाम गणेश वगैराह मु.न. 64/2000 द्वारा सहायक कलक्टर चौमूं द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2000 को खारिज फरमा कर अपील स्वीकार कर ली गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी/वादी गणेश द्वारा मान्य राजस्व मण्डल के समक्ष द्वित्तीय अपील उनवानी गणेश बनाम मंगला वगैराह अपील संख्या 129/2002 कम्प्यूटर आईडी 11125/02 प्रस्तुत की गई, जिसे अप्रार्थी गणेश द्वारा जरिये अधिवक्ता माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर अपील को विड्राल किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2007 को प्रस्तुत किया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 09.07.2007 को द्वित्तीय अपील को विड्राल के आधार पर खारिज कर दिया। इस प्रकार से माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**मालती बनाम लालाराम** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

डिक्री दिनाक 01.08.2002 बहाल हो चुका है। जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2000 द्वारा तहसीलदार द्वारा उसकी पालना की जाकर, राजस्व रिकार्ड में अंतिम निर्णय व डिक्री के अनुसार अंकन किया जाकर जरिये नामन्तरणकरण संख्या 41 दिनांक 02.06.2000 को राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी के नाम अंकन कर दिया गया। न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमू के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2000 की पालना में नामान्तरणकरण संख्या 41 का अंकन हुआ है अर्थात जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है वह निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा निरस्त की जा चुकी है तथा 2007 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार खारिज निर्णय व डिक्री के आधार पर किये गये अंकनों को हटाया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर चोमू जिला जयपुर की निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2000 की पूर्व की स्थिति बहाल की जानी एवं प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम पुनः दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र रेस्टीट्यूशन अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 2 बाद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 22/02/2021 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11/01/2023 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र रेस्टीट्यूशन अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होना धारित कर तहसीलदार को आदेश प्रदान किये गये कि सहायक कलेक्टर चौमू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2000 की पालना में किये गये अमल दरामद को नियमानुसार निरस्त किया जाकर उक्त निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलेक्टर चौमू के निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2000 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 01/08/2002 के माध्यम से निरस्त कर दिये जाने एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 01/08/2002 प्रभावी रहने से न्यायालय सहायक कलेक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मालती बनाम लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चौमू के निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2000 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 02/06/2000 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तित किये गये खातेदारी अधिकारों को दुरुस्त करते हुये न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमू के निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2000 से पूर्व के इन्द्राजात को बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11/01/2023 न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर